

## न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :- 09/2024 (जीसीएमएस नम्बर-2024/61)

उनवानी प्रकरण :-

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ----- सायल।

बनाम

श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी अग्रवाल कॉलोनी सरमथुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर ----- गैरसायल।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

- 1- सायल की ओर से :- सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।
- 2- गैरसायल की ओर से :- श्री इकराम खान अभिभाषक धौलपुर।

निर्णय दिनांक 10.03.2026

**निर्णय**

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, पुलिस थाना सरमथुरा से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध गैरसायल श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी अग्रवाल कॉलोनी सरमथुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गैरसायल आदतन सट्टा/जुआ खेलने का आदी है तथा रूपयो पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता कई बार पकड़ा है एवं अन्य लोगो को इसे खेलने के लिए प्रेरित करता है। उक्त अपराध एक सेवा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग का कों खोखला कर दिया है। गैरसायल को बार-बार जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरुद्ध चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहाँ वह स्वयं को इलाका का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वही अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है जिसके कारण आम नागरिक उसके विरुद्ध ना तो साक्ष्य देना चाहता है, ना ही उसके भय के कारण स्वतन्त्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों

को अथवा पुलिस को दे पा रहा है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सरमथुरा पर दर्ज अपराधों का विवरण इस प्रकार है:- मु0न0 313/2017 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 31.10.2017 जिसमें चार्जशीट नम्बर 211 दिनांक 31.10.2017 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 7.11.2017 को दोषी करार कर 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 357/2017 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 29.11.2017 जिसमें चार्जशीट नम्बर 234 दिनांक 29.11.2017 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 4.12.2017 को दोषी करार कर 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 335/2019 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 12.11.2019 जिसमें चार्जशीट नम्बर 214 दिनांक 20.11.2019 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 20.11.2019 को दोषी करार कर 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैरसायल श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पडा हुआ है। उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(5)(8) की तारीफ में आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त आधारों पर गैरसायल श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के तहत! मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

गैरसायल की ओर से श्री इकराम खान अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाब पेश किया, जिसमें उन्होंने कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सरमथुरा ने गलत एवं झूठा पेश किया है जो नेचुरल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के 03 प्रकरण है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। उक्त प्रकरण गुण्डा अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता है। गैरसायल के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज कराये है, वो **Petty Case** की परिभाषा में आते है। गुण्डा एक्ट की परिभाषा में नहीं आते है। पुलिस थाना सरमथुरा ने गैरसायल से रंजिशन गुण्डा अधिनियम का प्रकरण प्रस्तुत किया है। गैरसायल एक सीधा-सादा व्यापारी व्यक्ति है। पुलिस थाना सरमथुरा ने बिना कोई जाँच पड़ताल किये ऑफिस से ही उक्त प्रकरण गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जो गलत है और काबिल खारिजी है। अतः गैरसायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मु0न0 313/2017, 357/2017, 335/2019 में दर्ज एफ0आई0आर, चार्जशीट, प्रति फौसला तथा आपराधिक रिकार्ड की सूची प्रस्तुत की। गैरसायल ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। सायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध 03 प्रकरण दर्ज है। उक्त सभी प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय किए जा चुके हैं। गैरसायल अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। गैरसायल आदतन जुआ खेलना, खिलाने, सट्टेबाजी करने का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है, समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, गैरसायल शाहिद का स्वच्छन्द रहना जनता हित में ठीक नहीं है। गैरसायल का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की परिधि में आता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल एक सीधा-सादा व्यापारी व्यक्ति है। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के 03 प्रकरण है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। उक्त प्रकरण गुण्डा अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता है। गैरसायल के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज कराये हैं, वो **Petty Case** की परिभाषा में आते हैं। पुलिस थाना सरमथुरा ने बिना कोई जाँच पडताल किये ऑफिस से ही उक्त प्रकरण गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जो गलत है और काबिल खारिजी है। अतः गैरसायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण्ण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :-

“(आ) “गुण्डा” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो-

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
6. महिलाओं एवं लड़कियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया हो, अथवा
7. हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :- किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहाँ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में गैरसायल के विरुद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:- मु0न0 313/2017 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 31.10.2017 जिसमें चार्जशीट नम्बर 211 दिनांक 31.10.2017 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 7.11.2017 को दोषी करार कर 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 357/2017 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 29.11.2017 जिसमें चार्जशीट नम्बर 234 दिनांक 29.11.2017 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 4.12.2017 को दोषी करार कर 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 335/2019 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 12.11.2019 जिसमें चार्जशीट नम्बर 214 दिनांक 20.11.2019 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने उक्त प्रकरण का विचारण करने के पश्चात् गैरसायल को दिनांक 20.11.2019 को दोषी करार कर 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। गैरसायल अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरुद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा क्योंकि धारा 2 (ख) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि "राजस्थान सार्वजनिक जूआ अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति

को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता है, वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित है और गैरसायल को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। गैरसायल श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी अग्रवाल कॉलोनी सरमथुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में गैरसायल जिला करौली में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय-अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेन्सी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। गैरसायल प्रथमतः पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर गैरसायल को पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगा। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में गैर सायल श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी अग्रवाल कॉलोनी सरमथुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगा। 15 दिवस पूरे होने पर गैरसायल जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 9.3.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(श्रीनिधि बी टी)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

